बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बख्तियारपुर।

Email id:-eebakhtiyarpur@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या–12/2025–26

पत्रांक 413 / बख्तियारपुर / दिनांक 18/03/2026 /

कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल,बख्यिारपुर तथा बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल बड़हिया/सरमेरा/मोकामा/हाथीदह अंतर्गत तटबंध संपोषण कार्य/आकस्मिक कार्य/ प्रगतिशील योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण/उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्य हेतु भाड़े पर अवातानुकूलित वाहन (बोलरों/सूमों/स्कॉरपियों समकक्ष) के उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष–2026–27 में दिनांक–01.04.2026 से 31.03.2027 तक निर्धारित कार्यान्वित अवधि में परिचालन हेतु इच्छूक वाहन मालिकों/ वाहन आपूर्तिकता/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्रमांक	अवधि	वहन की संख्या
1	01.04.2026 to 31.03.2027	03 अदद्
2	01.06.2026 to 31.10.2026	02 अदद्

(i) कोटेशन आमंत्रण कार्यालय का नाम एवं पता :–कार्यपालक अभयंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बख्तियारपुर।

(ii) कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :–18.03.2026

(iii) कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि :– 28.03.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक।

(iv) कोटेशन प्राप्त करने का स्थान :– कार्यपालक अभयंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बख्तियारपुर।

(v) कोटेशन खोलने की तिथि समय एवं स्थान :–28.03.2026 को अपराह्न 03:30 बजे
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में।

<u>नियम एवं शर्ते निम्नवत् हैः–</u>

1. भाड़े पर वाहन दिनांक–01.04.2026 से 31.03.2027 तक रखने के लिए एकरारनामा किया जायेगा तथा संतोषजनक सेवा रहने पर अगले एक साल के लिए एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता है। वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. वाहन का मॉडल 2016 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छी हालत में होना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

3. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैद्य निबंधन पत्र, बीमा रोड टैक्स एवं प्रदुषण –पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन का उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिमाह ईधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक की जबाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
10. वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जानेवाला उद्धत दर अनूसूची सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदित दर से अधिक नहीं होगा अथवा न्यूनतम कोटेड दर स्वीकार होगा तथा भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा।
11. वाहन का ईधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी बिना सूचना के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी जा वढ़ायी जा सकती हे। एकरारनामा 1000 (एक हजार) भारतीय गैर न्यायायिक के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा।
12. वाहन का माइलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रतिलिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
13. वाहन मालिक/ फर्म का वैद्य GST एवं पैन कार्ड निबंधन होना अनिवार्य है।
14. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/ फर्म द्वारा निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग में नहीं किया जाएगा।
15. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नही जायेगा। वाहन खराब होने पर

Scanned with OKEN Scanner

वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगूने दर से कटौती कर ली जायेगी।

16. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान किया जायेगा।

17. बिना कारण बताए किसी भी समय कोटेशन की प्रक्रिया रोकने/रदद् करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस मामले में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगो।

18. इच्छुक वाहन मालिक/ फर्म उक्त क्रमांक–1 से 17 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नॉटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 एवं 06 तथा 13 से संबंधित कागजातों की सत्याति प्रति के साथ अपना कोटेशन दिनांक–28.03.2026 तक कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बंद लिफाफा में 3:00 बजे अपराह्न तक समर्पित करेंगे, जिसे दिनांक–28.03.2026 के 3:30 बजे अपराह्न कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल,बख्तियारपुर के कार्यालय में खोला जाएगा। वाहन मालिक/ वाहन आपूर्तिकत्ताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे।

19. सभी वांछित कागजात सही पाये जाने एवं एक से ज्यादा न्यूनतम समान दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ताओं का चयन किया जाएगा। लॉटरी की तिथि एवं समय की सूचना वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी के समय उपस्थित रहेंगे अन्यथा इनकी या इनके प्रतिनिधि के अनुपस्थिति में भी लॉटरी किया जाएगा तथा इस संबंध में बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

20. कोटेशन के साथ क्रमांक 05 एवं 06 तथा 13 के कागजात एवं शपथ पत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जाएगा।

Kunal 18/3/26

(ई0 कुणाल)
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल,बख्तियारपुर।

पत्रांक 413 / बख्तियारपुर, दिनांक 18/03/2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

Kunal 18/3/26

(ई0 कुणाल)
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल,बख्तियारपुर।

Scanned with OKEN Scanner